प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 02.11.2025

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुये पीली धातु की 03 जोड़ी कान की टॉप्स, 02 अंगूठी, 09 नोज पिन, 01 मंगलसूत्र, 01 मूर्ति लक्ष्मी जी, 01 मूर्ति गणेश जी, सफेद धातु के 05 सिक्के, 01 अंगूठी स्टोन जड़ित, 01 हाथ की घड़ी, 87000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 सड़ासी बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 28.10.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी मनीष शर्मा पुत्र स्व एस0 एन0 शर्मा निवास 6/H26HIG डुप्लेक्स से0 5 राजेन्द्र नगर की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा घर का दरवाजा तोड़कर घर से 06 लाख कैश 03 डायमण्ड रिंग, 4 यलो गोल्ड रिंग, 30 सिल्वर कॉइन, 03 जोडी पाजेब, 03 गोल्ड चैन, सोने का 01 मंगल सूत्र, 03 सिल्वर मूर्ति, 01 अष्ट्राधातू मूर्ति (लक्ष्मी गणेश) की चोरी के सम्बन्ध में धारा 331(4), 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 01.11.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर घर में घुसकर चोरी करने वाले 01 अभियुक्त अली मोहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन हाल निवासी सीमापुरी झुग्गी झोपड़ी सीमापुरी शाहदरा दिल्ली मूल पता गाँव खुरशी थाना मदरपुरा जिला सहरसा बिहार उम्र करीब 36 वर्ष को साहिबाबाद रेलवे स्टेशन अंडरपास के ऊपर से चोरी किये हुये पीली धातु की 03 जोड़ी कान की टॉप्स, 02 अंगूठी, 09 नोज पिन, 01 मंगलसूत्र, 01 मूर्ति लक्ष्मी जी, 01 मूर्ति गणेश जी, सफेद धातु के 05 सिक्के, 01 अंगूठी स्टोन जड़ित, 01 हाथ की घड़ी, 87000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 सड़ासी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अली मोहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही क जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त अली मोहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त अली मोहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन उपरोक्त से बरामद सामान व डेढ़ लाख रूपये को अभियुक्त अली मोहम्मद ने करीब 3 से 4 दिन पहले सै0 5 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद के एक घर से चोरी किया था, चोरी किये हुये रूपयों में से 87 हजार रुपये शेष बचे हुए थे जो कि अभियुक्त उपरोक्त से बरामद किये गये है बाकी रुपये अभियुक्त उपरोक्त ने खर्च कर दिये हैं। अभियुक्त ने बताया कि मैं स्मैक पीने का आदी हूं व घर में घुसकर चोरी करने के लिये सड़ासी से ताला व खिड़की तोड़ता हूं तथा चोरी के सामान को चलते फिरते राहगीर को बेच देता हूँ। अभियुक्त अली मोहम्मद बरामद चोरी के सामान को बेचने के लिये अपने गाँव बिहार जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अली मोहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन हाल निवासी सीमापुरी झुग्गी झोपड़ी सीमापुरी शाहदरा दिल्ली मूल पता गाँव खुरशी थाना मदरपुरा जिला सहरसा बिहार उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी किये हुये पीली धातु की 03 जोड़ी कान की टॉप्स, 02 अंगूठी, 09 नोज पिन, 01 मंगलसूत्र, 01 मूर्ति लक्ष्मी जी, 01 मूर्ति गणेश जी, सफेद धातु के 05 सिक्के, 01 अंगूठी स्टोन जड़ित, 01 हाथ की घड़ी, 87,000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 सड़ासी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अली मोहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबद पर चोरी के 03 अभियोग, थाना लिंकरोड पर चोरी के 05, आर्म्स एक्ट का 01 व एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग तथा दिल्ली में चोरी के 02 व हत्या के प्रयास के 01 अभियोग कुल 13 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा चाकू से हमला कर हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से एक आलाकत्ल चाकू बरामद।

दिनांक 01.11.2025 को वादी श्री कालू उर्फ कमल सिह पुत्र चतुर्ज भोज राज सिंह नि0 77 अर्जुन नगर थाना कोतवाली गाजियाबाद की तहरीर प्राप्त हुई। जिसमें दिनांक 01.11.2025 को समय करीब 7.30 बजे शाम को मेरा बेटा नीतिन उर्फ पीयूष घर से किसी काम से पुराना बस अडडा के पास लालमन लस्सी वाले के पास गया था तो वहा पर सन्नी यादव पुत्र किशन यादव नि. मकान 554 तुराबनगर थाना कोतवाली गाजियाबाद वहां पहले से ही खडा था मेरे बेटे के पहुंचने पर सन्नी यादव द्वारा चाकू से ताबडतोड वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तभी मेरा भाई जितेन्द्र S/O चतुर्भ भोज सिंह मौके पर पहुंच गया और मेरे बेटे को बचाया तभी सन्नी यादव मौके से फरार हो जाना तथा ईलाज के दौरान संतोष हास्पिटल में मेरे बेटे पीयूष कि मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तत्काल थाना सिहानीगेट पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- पंजीकृत अभियोग में घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमों का गठन किया।जिसमें टीमों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस सैल की मदद से आज दिनांक 02.11.2025 को घटना कारित करने वाले अभियुक्त सन्नी यादव पुत्र किशन यादव नि0 मकान नं0-554 तुराबनगर थाना कोतवाली गाजियाबाद को पुराना बस अड्डा फ्लाई ओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल चाकू, घटना के समय पहने कपडे व चप्पल बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी ने बताया कि मृतक नितिन उर्फ पीयूष की बहन से मेरे संबंध थे मैं उससे बातचीत करता रहता था इसके परिवार वाले इस बात का एतराज करते थे तथा इससे पूर्व में भी हमारी

आपस में कई बार कहा सुनी हुई है। मैं कल शाम के समय पुराने बस अड्डे के पास खड़ा था तभी नितिन उर्फ पीयूष मेरे पास आया और उससे मेरी कहा सुनी हो गई तथा आपस में मारपीट होने लगी इसी दौरान नितिन उर्फ पीयूष ने मेरे कंधे पर काट लिया जिसका निशान अभी भी है तथा अभियुक्त द्वारा निशान दिखाया गया जो किसी के द्वारा दांत से काटे जैसा दिख रहा है फिर मुझे गुस्सा आ गया मेरे पास चाकू था और गुस्से में आकर मैंने नितिन को कई बार चाकू मार कर घायल कर दिया तभी इसी दौरान मैंने नितिन उर्फ पीयूष के चाचा जितेन्द्र को आते देखा तो मैं उसे छोड़कर वहां से भाग गया और तभी से मैं जगह-जगह छुपकर बचकर घूम रहा था। इसके बाद मुझे जानकारी हुई की नितिन उर्फ पीयूष की मृत्यु हो गई है तो मैं डर के कारण शहर से बाहर कहीं जाने की फिराक में पुराने बस अड्डे पर आया था मैं छुपता हुआ कहीं जाने की फिराक में था की तभी पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और यहां ले आए हैं। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त चाकू के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब चाकू तथा घटना के समय जो कपड़े मैंने पहने थे वह भी खून में सन गए थे तो वह कपड़े व चाकू को मैंने एक पॉलीथीन में रखकर एक जगह छुपा दिए हैं ताकि किसी को ना मिले। मैं चलकर वह चाकू व कपड़े बरामद करा दूंगा।

नाम पता अभियुक्तः -

सन्नी यादव पुत्र किशन यादव नि0 म0नं0 554 तुराबनगर थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त 01 चाकू
2. हत्या के समय पहने गये कपड़े (खून से सने हुए) व चप्पल

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सन्नी यादव उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व में थाना कोतवाली पर छेड़खानी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।